फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

26-08-2013

आवेदक **श्री राजेश प्रसाद,** पिता–श्री इन्द्रदेव प्रसाद, सा0–सूर्यमंगलम पथ, जकरियापुर, पो0–बड़ी पहाड़ी, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–598/2008 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बिल्डर हैं और व्यवसाय भी करते हैं। उनके भाई स्व0 राकेश कुमार की हत्या दिनांक–10.03.2011 को हुई जिसके संदर्भ में आलमगंज थाना कांड सं0–52/11, दिनांक–10.03.2011 अंकित है। उनके भाई स्व0 राकेश कुमार के नाम पर अनुज्ञप्ति सं0–1601 पर धारित .32 बोर रिवाल्वर को दिनांक–14.03.2011 को संबंधित शस्त्र दुकान में जमा कर दिया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–272/गो0, दिनांक–01.04.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया हैं। कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के भाई स्व0 राकेश कुमार की हत्या दिनांक–10.03.2011 को हुई जिसके संदर्भ में आलमगंज थाना कांड सं0–52/11, दिनांक–10.03.2011 अंकित है। आवेदक के भाई स्व0 राकेश कुमार के नाम पर अनुज्ञप्ति सं0–1601 पर धारित .32 बोर रिवाल्वर को दिनांक–14.03.2011 को संबंधित शस्त्र दुकान में जमा कर दिया गया, तदनुसार आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।। थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिल्डर हैं। आवेदक के भाई स्व0 राकेश कुमार की हत्या दिनांक–10.03.2011 को हुई जिसके संदर्भ में आलमगंज थाना कांड सं0–52/11, दिनांक–10.03.2011 अंकित है। आवेदक के भाई स्व0 राकेश कुमार के नाम पर अनुज्ञप्ति सं0–1601 पर धारित .32 बोर रिवाल्वर को दिनांक–14.03.2011 को संबंधित शस्त्र दुकान

में जमा कर दिया गया। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश प्रसाद, पिता–श्री इन्द्रदेव प्रसाद, सा0–सूर्यमंगलम पथ, जकरियापुर, पो0–बड़ी पहाड़ी, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।